

झारखण्ड सरकार  
वन एवं पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

संख्या-3/पर्या0प्रदू0(विविध)-01/2013-...../व0प0 राँची, दि0-.....

विभागीय अधिसूचना सं0-3/पर्या0प्रदू0(विविध)-01/2013-1583/व0प0 राँची, दि0-03.04.2013 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु समर्पित अभ्यावेदनों पर State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) को देय परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fee) की दरें निर्धारित की गई थीं ।

2. सरकार ने गहन समीक्षोपरांत बालू उठाव एवं ईट निर्माण हेतु मिट्टी खुदाई कार्य (Minor Mineral) के दरों के लिए परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fee) की दरों में निम्नवत् आंशिक सशोधन करने का निर्णय लिया है :-

| रकबा                     | पूर्व की दर<br>(रु0 में) | स्वीकृत दर<br>(रु0 में) |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 0.5 एकड़ तक              | 10,000.00                | 2,500.00                |
| 0.5 एकड़ से 1.00 एकड़ तक |                          | 5,000.00                |
| 1.00 एकड़ से 2.5 एकड़ तक | 50,000.00                | 20,000.00               |
| 2.5 एकड़ से 5.00 एकड़ तक | 1,00,000.00              | 50,000.00               |
| 5.00 एकड़ से अधिक        |                          | 1,00,000.00             |

3. विभागीय अधिसूचना सं0-3/पर्या0 प्रदू0 (विविध) -01/2013-1583, व0प0 राँची, दि0-03.04.2013 में परीक्षण शुल्क हेतु अंकित अन्य दरें एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से.

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/पर्या0प्रदू0-01/2013...../व0प0, राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्राणलय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित

अनुरोध है कि मुद्रित अंक की 100 अतिरिक्त प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-3/पर्या0प्रदू0-01/2013-5070...../व0प0, राँची, दिनांक 21.12.2013...../

प्रतिलिपि-सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110501/मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, ए/3, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023/मुख्य सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, राँची/अध्यक्ष/सदस्य सचिव, SEIAA/SEAC, झारखण्ड, के सभी सदस्यों को सूचनाार्थ प्रेषित।